कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 471 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,अगस्त, 11, 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– जनपद देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ–पंजिया–बनसार–तुरतक निस्तार कि0मी0 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु 1.8536 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 405 / 12–1 दिनांक 04–8–2015 **FP/UK/ ROAD/ 10464/ 2015**

महोदय,

कृपया उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा जारी की गई चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव नहीं पाया गया है।

विदित हों कि नोडल अधिकारी के स्तर से भाग–II (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest) प्रपत्र के बिन्दु 13 में रिक्त का उल्लेख करते हुए कॉलम 14 के निर्धारित कॉलमों में सूचना रिक्त दर्शाई गई है। इसी संदर्भ में नोडल अधिकारी द्वारा पूर्व आपके प्रभाग के पूर्व के प्रस्ताव में भी कॉलम संख्या 13 व 14 को भरने के निर्देश दिये गये हैं।

"DFO may please fill serial no.13 and rectify entries in Sl. No. 14 of Form A Part –II the entries at serial 13 and 14 are also not as per file attached on line."

2– प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र भाग–2 जो हिन्दी में भरा जाना है के निर्धारित कॉलमों में सूचना संलग्न है, हां, नहीं का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में निर्धारित कॉलमों के अनुसार परिपूर्ण सूचना दी जाय। आपको परिपूर्ण सूचना दिये जाने हेतु अन्य प्रस्तावों के प्रपत्र का नमूना भी दिया गया है।

आप यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार तथा नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित चैक लिस्ट के अनुसार ही सही–सही प्रस्ताव अपलोड किया जाय। प्रभाग स्तर पर प्रस्ताव सही–सही अपलोड न किये जाने के कारण अनावश्यक विलम्ब एवं पत्राचार को बढ़ावा मिल रहा है।

आप उपरोक्तानुसार आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रस्ताव ऑन लाईन शीघ्र भेजें एवं की गई कार्यवाही की हार्ड कॉपी फैक्स के माध्यम से भी उपलब्ध करायें।

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 471 (1) / 12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।